



2026:AHC-LKO:7621-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

रिट - सी संख्या - 12449 सन 2025

उस्मान हुसैन

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा अध्यक्ष
एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता :	प्रशांत पांडे, सुधीर सिंह
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता :	नीरव चित्रवंशी, अपराजिता बंसल

न्यायालय संख्या - 1

**माननीय न्यायमूर्ति राजन राय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी**

1. सुनवाई हुई।
2. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित मुख्य राहत(ओं) की मांग की है:-

"(i) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश याचिकाकर्ता के परिसर, प्लॉट/गटा संख्या 1036, जो ग्राम जिंदौर, रहीमबाद, हरदोई रोड, मलिहाबाद, ग्रामीण, लखनऊ में स्थित है, को 5 किलोवाट का बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रतिवादियों को आदेश देने हेतु जारी किया जाए, क्योंकि याचिकाकर्ता ने पहले ही आवेदन संख्या J4059157101 (वाणिज्यिक 5 किलोवाट) के तहत इसके लिए आवेदन किया है और सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए तैयार है।"

3. उत्तर प्रदेश विद्युत निगम की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता के परिसर पर बकाया राशि है, इसलिए उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रस्तर 4.3 के अनुसार, बकाया राशि का भुगतान किए बिना नया विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

याचिकाकर्ता के परिसर से संबंधित अंतिम मूल्यांकन आदेश याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को उपलब्ध कराया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि भवन/परिसर अलग-अलग हैं। यदि ऐसा है, तो वे इन तथ्यों की जानकारी संबंधित सक्षम प्राधिकारी, यानी कार्यकारी अभियंता को दे सकते हैं, जो मामले की पुनः जांच करके यह सत्यापित कर सकते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा बिजली कनेक्शन के लिए मांगा गया भवन वास्तव में अलग है या नहीं और कानून के अनुसार आवश्यक निर्णय ले सकते हैं।

5. याचिका का निस्तारण उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

फरवरी 2, 2026

प्रवीण

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।